सुविधा नए वर्ष से प्रारंभ होगा जीरो डिग्री धनवंतरी नगर फ्लाइओवर का कार्य

एल आकार में बनेगा फ्लाइओवर, यातायात में होगा सुधार

फाईल-फोटो

जबलपुर, नवभारत। आने वाला नया वर्ष 2026 शहर के यातायात व्यवस्था के लिए शुभ साबित होने वाला है। क्योंकि विजय नगर जीरो डिग्री से धनवंतरि नगर तक रेल पांतों के ऊपर प्रस्तावित फ्लाईओवर नये वर्ष के शुरुआती माह से बनना आरंभ हो सकता है। बता दे कि लोक निर्माण सेतु ने इस फ्लाईओवर के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लोक निर्माण मंत्रालय भोपाल भेज दी है। मंत्रालय में इस पर दो माह के अंदर वित्तीय व्यय समिति चर्चा कर बजट खर्च को स्वीकृति दे देगी। इसके बाद प्रशासकीय स्वीकृति मिलने पर इसका टेण्डर जारी कर दिया जाएगा। लोक निर्माण सेतु से जुड़े अधिकारियों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में दो से तीन माह का वक्त लगेगा जिसमें टेण्डर और करार के बाद इसमें कार्य आरंभ हो सकेगा। मिली जानकारी अनुसार जहां से फ्लाईओवर बनना है उसमें बीच के हिस्से में रेल पांत है। इन रेल पांतों के ऊपर ब्रिज लोक निर्माण सेतु शाखा ही बनाएगी। इसके लिए पश्चिम मध्य रेलवे की अनुमति पहले ले ली गई है। बस निर्माण के वक्त रेलवे की अनुमति ली जाएगी उसके बाद इसमें वर्क आरंभ हो सकेगा। फ्लाईओवर के लिए पूरा बजट लोक निर्माण सेतु ही खर्च करेगा।

फैक्ट फाइल

- धनवंतरि नगर से विजय नगर की ओर फ्लाईओवर
- कुल ब्रिज की लंबाई 1200 मीटर, लागत 180 करोड़
- लाखों की आबादी एक से दूसरे हिस्से आसानी से जुड़ेगी
- फ्लाईओवर के ऊपर 36 फीट चौड़ी सड़क बनेगी
- फ्लाईओवर 2 लेन के हिसाब से बनेगा, सड़क फोरलेन होगी

इस आकार में बनेगा फ्लाइओवर

विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा फ्लाईओवर एल आकार में बनेगा। विजय नगर 41 नंबर स्कीम जीरो डिग्री के हिस्से से आरंभ होकर यह धनवंतरि नगर की ओर 1200 मीटर के दायरे में एल आकार में बनेगा। पहले इसको एल से टी आकार में बनाने पर विचार हुआ लेकिन लागत के चलते इसकी डीपीआर को एल आकार में ही बनाने निर्णय लिया गया। एक हिस्से में फ्लाईओवर चढ़ेगा और दूसरे हिस्से में एल आकार में एक रैंप यानी सड़क की ओर मुड़ जाएगा।

चल रही है जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया

इसकी डीपीआर में राज्य की प्रशासकीय स्वीकृति में इसकी भी अनुमति ली जाएगी कि भूमि अर्जन में राशि कैसे खर्च की जाएगी। जहां पर यह ब्रिज उतरना है उसमें कुछ जमीनें निर्माण के हिस्से में आ रही हैं। इन भूमि का उपयोग निर्माण में करने के पहले किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण सेतु ने सभी तरह का सर्व कर लिया है।

इनका कहना है

फ्लाईओवर के बन जाने से शहर के दो बड़े क्षेत्र आपस में जुड़ जाएंगे यातायात व्यवस्था सुधरेगी।
नीरज

आने वाला समय अब सिर्फ फ्लाइओवर का है। सड़के पहले के हिसाब से बनी है परंतु ट्रैफिक दोगुना हो चुका है।
गोलू

3 मंजिला कपड़े के गोदाम में भड़की भीषण आग

नवभारत,जबलपुर। मालवीय चौक के पास सुपर मार्केट स्थित सतना बिल्डिंग में क्लासिक कपड़े के तीन मंजिला गोदाम में मंगलवार को शॉट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। आग इतनी भीषण थी कि चंद ही देर में पूरे गोदाम तक जा पहुंची और धीरे धीरे करके वहां रखा पूरा माल जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने नवभारत को बताया कि आग की ऊंची ऊंची लपटों ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया और कुछ ही देर में क्लासिक कपड़े के गोदाम को अपनी आगोश में ले लिया।

हालांकि आग लगते ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड के अमले को दी जिसके बाद मौके पर नगर निगम के फायर ब्रिगेड के 4 वाहनों के जरिए आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कपड़े के गोदाम में रखा सारा माल जलकर खाक हो चुका था।

निगमायुक्त ने संभाला मोर्चा

जानकारी के अनुसार अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन गोदाम संचालक को लाखों का नुकसान हुआ है। उधर भीषण अग्निकांड की सूचना पर मौके पर निगमायुक्त पहुंचे जिन्होंनें आग पर जल्द से जल्द काबू पाने निर्देश दिए। जिसके बाद शाम करीब 4 बजे तक आग बुझाने का काम जारी रहा और फिर इस तरह आग पर काबू पाया गया।

गंदगी के बीच जमीन पर सुखा रहे थे नूडल्स

साई गृह उद्योग का पंजीयन निरस्त

नवभारत,जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले में खाद्य निर्माताओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई। पंजीयन प्राधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन देवेन्द्र कुमार दुबे ने बताया कि अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण करने और अनिवार्य लाइसेंस के अभाव में श्रीराम कॉलेज के पास, दीक्षित कॉलोनी, करमेता में संचालित साई गृह उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में यह पाया गया कि नूडल्स को गंदगी के बीच जमीन पर सुखाया जा रहा है और अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ वातावरण में पैकिंग की जा रही है।

यह स्थिति जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। जांच में यह भी सामने आया कि प्रतिष्ठान का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अंतर्गत अनिवार्य खाद्य लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है।

अस्वच्छता की गंभीरता और लाइसेंस के अभाव को देखते हुए पंजीयन प्राधिकारी ने लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही वैध खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने तक प्रतिष्ठान में खाद्य निर्माण एवं व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ठेका लेने फर्जी परफार्मेस सर्टिफिकेट लगा शासन की पावर ट्रांसमिशन कंपनी से धोखाधड़ी

ईओडब्ल्यू ने कैलाश देवबिल्ड इंडिया कंपनी प्रबंध संचालक, डायरेक्टरों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

जाली दस्तावेजों के जरिए लिया 226 करोड़ का टेण्डर

जबलपुर। हाईटेंशन लाइनों, सब स्टेशनों को बनाने का काम करने वाली मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी से जाली दस्तावेजों के जरिए 226 करोड़ का टेण्डर लेने वाली कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंध संचालक, डायरेक्टरों के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच में यह बात सामने आई है कि इस कंपनी द्वारा फर्जी परफार्मेस सर्टिफिकेट लगाकर मप्र शासन की पावर ट्रांसमिशन कंपनी, शक्ति भवन, जबलपुर के साथ धेखाधड़ी की है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में एक शिकायत पहुंची जिसमें आरोप लगाए गये कि कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों द्वारा फर्जी परफॉर्मेस सर्टिफिकेट लगाकर मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी से ठेके प्राप्त गए हैं। शिकायत जांच में यह बात सामने आई कि कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रालि संचालक कैलाश कुमार शुक्ला सीमा शुक्ला एवं भानू शुक्ला द्वारा मप्र पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड शक्ति भवन रामपुर जबलपुर के टेण्डर क्रमांक टी.आर 36/16, टीआर 13/20 एवं टीआर 35/20 को प्राप्त करने इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड नोयडा का 2 मार्च 2017 का कूटरचित परफार्मेस सर्टिफिकेट लगाकर टेण्डर प्राप्त कर लिया गया था।

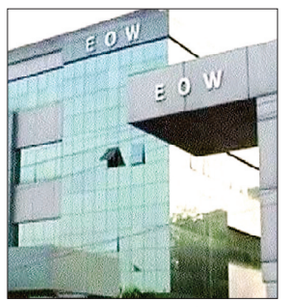

220 केव्ही के सब स्टेशनों के टेण्डर लिये

ईओडब्ल्यू ने मप्र पावर ट्रांसमिशन कपंनी लिमिटेड, जबलपुर से शिकायत संबंधी जानकारी मांगी तो यह पता चला कि कंपनी द्वारा हाईटेंशन लाइनों और सब स्टेशनों को बनाने का काम किया जाता है। कंपनी ने फर्जी परफॉर्मेस सर्टिफिकेट का उपयोग करके इस कंपनी ने 220 के.व्ही. के सब स्टेशनों के टेण्डर प्राप्त किये है।

नोयडा कॉर्पोरेटर कार्यालय की जांच से फर्जीवाड़ा उजागर

ईओडब्ल्यू ने जांच के दौरान इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड, नोयडा के परफॉर्मेस सर्टिफिकेट की नोयडा स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय से जांच कराई गई जिसमें पाया कि जिस परफॉर्मेस सर्टिफिकेट के आधार पर कैलाश देवबिल्ड को 220 के. व्ही. के विंड फार्म पुलिंग सब स्टेशन बनाने का ठेका दिया गया है वह परफॉर्मेस सर्टिफिकेट इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड, नोयडा द्वारा जारी नहीं किया गया है। जिसके बाद फर्जीवाड़ा उजागर हुआ।

पति-पत्नी, बेटा बने आरोपी

ईओडब्ल्यू ने कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रालि के प्रबंध संचालक कैलाश कुमार शुक्ला, पत्नी सीमा शुक्ला, डायरेक्टर एवं पुत्र भानू शुक्ला, डायरेक्टर सभी निवासी हाथीताल कॉलोनी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

किसने बनाये दस्तावेज, और कौन-कौन शामिल

कूटरचित परफार्मेस सर्टिफिकेट 2 मार्च 2017 का है। ईओडब्ल्यू अब इसका पता लगाने में जुटी है कि सर्टिफिकेट कहां से बना और इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन शामिल है। मामले की विस्तृत जांच जारी है जांच के बाद आगे जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होने के साथ आरोपियों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है।

कुलगुरु ने किया अचानक निरीक्षण, 5 कर्मचारी नदारद

एक बीएलओ ड्यूटी पर पाए गए, शेष चार कर्मचारियों को नोटिस जारी

नवभारत,जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बुधवार को अचानक कुलपति प्रो. डॉ. राजेश कुमार वर्मा ने विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुलपति ने उपस्थिति रजिस्टर और कार्यस्थल की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पांच कर्मचारी अपनी सीटों से अनुपस्थित पाए गए। जांच में स्पष्ट हुआ कि एक कर्मचारी सरकारी बीएलओ ड्यूटी पर तैनात थे, जिसकी पुष्टि दस्तावेज़ों के आधार पर की गई। हालांकि शेष चार कर्मचारियों के अनुपस्थित पाए जाने पर कुलपति ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कुलपति ने कहा कि शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने नियमित रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करने और कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने की बात कही। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुपस्थित चार कर्मचारियों से निर्धारित समयावधि में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है।

जहां रखी पुरानी धान वहीं खुल गया खरीदी केंद्र

प्रशासन का अजब- गजब फरमान- धान के स्टॉक वाले गोदाम होंगे सील

नवभारत, जबलपुर। जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 1 दिसंबर से हो चुकी है, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा विभिन्न तहसीलों में 55 खरीदी केंद्रों का चयन किया है। गौरतलब है कि इन बनाए गए खरीदी केंद्रों में कई वेयरहाउस ऐसे हैं जिनमें पहले से ही पुरानी धान रखी हुई है, जिनकी मिलिंग होना बाकी है, लेकिन प्रशासन ने उन्हीं गोदामों में नई धान की खरीदी करने केंद्र बना दिए हैं। इसके विपरीत सोमवार हुई बैठक में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने पहले से धान रखी गोदामों को लॉक करने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस स्थिति में बने हुए केंद्रों को हटाया जाएगा, या उनकी जगह नए केंद्र स्थापित होंगे.. ? इसके अलावा पुरानी धान रखे हुए वेयरहाउसों को दोबारा खरीदी केंद्र बनाना कहीं ना कहीं

तहसील क्षेत्र के अधिकारियों, शाखा प्रबंधक और वेयरहाउस संचालकों की मिलीभगत को दर्शाता है। जिससे धान उपार्जन में घोटाले की संभावना और अधिक बढ़ जाती है।

लगभग एक दर्जन केंद्रों पर रखी है धान

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपार्जन के लिए जिन 55 केंद्रों की मैपिंग की गई है, उनमें से लगभग एक दर्जन वेयरहाउस में पहले से ही धान रखी हुई है। गौरतलब है कि जब अधिकारियों को यह मालूम था कि उक्त वेयरहाउस में धान भंडारित है तो उनको केंद्र बनाने की मंजूरी क्यों दी गई ? वहीं कलेक्टर के निर्देश होने के बाद क्या अब इन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी, जो केंद्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे।

अभी मिलिंग होने में 1 महीने बाकी

विदित है कि जिले में लगभग 17 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसके लिए जबलपुर की धान अब बालाघाट मिलिंग के लिए भेजी जा रही है और आरओ कटना भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में पहले से धान रखे वाले केंद्रों से धान का उठाव और उपार्जन का कार्य एक साथ होना कहीं ना कहीं उपार्जन की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहा है। उल्लेखनीय है कि धान की मिलिंग के लिए लगभग तीन बार तिथि को बढ़ाया गया है,अब यह मिलिंग की प्रकिया जनवरी माह तक चलने वाली है।

निगामायुक्त को हाईकोर्ट में हाजिर होने के निर्देश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने नियमितिकरण से जुड़े एक मामले में पूर्व आदेश का पालन नहीं करने और अवमानना में जवाब पेश न करने को गंभीरता से लिया। जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई पर नगर निगम आयुक्त को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये है। एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को निर्धारित की है। जबलपुर निवासी राकेश शुक्ला की ओर से अधिवक्ता दीपक सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003-04 में नगर निगम ने 74 दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया था। कुछ शिकायतें मिलने पर पुन: दैवेभो कर दिया। पूर्व में हाईकोर्ट ने इस मामले में विस्तृत आदेश देते हुए कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए थे। न्यायालय ने कहा था कि उन सभी कर्मचारियों के मामलों पर विचार करें जिनका नियमितीकरण किया गया था। नगर निगम ने इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील पेश की थी।

तो फिर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला दें : हाईकोर्ट

निजी स्कूलों की फीस वृद्धि मामले में टिप्पणी, अपील पर फैसला सुरक्षित

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में मंगलवार को जबलपुर निजी स्कूलों की फीस वृद्धि मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान ओपन कोर्ट में टिप्पणी की गई कि यदि बच्चों को कम फीस में पढ़ाना है, तो सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला दें। जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के साथ ही अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। सरकारी स्कूलों में दाखिले की टिप्पणी को लेकर अपीलकर्ता व हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से स्पष्ट किया गया कि अभिभावकों का मौलिक अधिकार है कि वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में जायज फीस अदा कर पढ़ाएं। दरअसलए पूर्व में छात्रों की याचिका जिला शिक्षा समिति के आदेश को राज्य शिक्षा कमेटी के समक्ष चुनौती देने की स्वतंत्रता दिए जाने के निरस्त कर दी गई थी, जिसके बाद युगलपीठ के समक्ष रिट अपील दायर हुई है। इसी सिलसिले में अपीलकर्ता के साथ हस्तक्षेपकर्ता पक्ष रखने आगे आए हैं। हस्तक्षेपकर्ता मध्य प्रदेश अभिभावक संघ की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि निजी स्कूल हाईकोर्ट के 10 प्रतिशत फीस वृद्धि की छूट संबंधी आदेश की मनमानी व्याख्या कर हर शिक्षण सत्र में 10 प्रतिशत फीस बढ़ाने पर आमादा हो गए हैं। जबकि यह रवैया अनुचित है। कायदे से आवश्यकता के अनुरूप फीस बढ़ाई जा सकती है। अभिभावक जायज फीस देने राजी हैं। वे सिर्फ मनमानी फीस वृद्धि के विरुद्ध हैं। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने ओपन कोर्ट में उक्त टिप्पणी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

क्या निजी हाथों में जाएगी रेलवे स्टाफ कैंटीन?

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर रेल मंडल के डीआरएम कार्यालय स्थित स्टाफ कैंटीन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी रेल कर्मचारियों के बीच पिछले दो दिनों से जोरों पर है दरअसल जब से इस सरकारी कैंटीन में तैनात स्टाफ का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, तब से इन बातो ने जोर पकड़ लिया है। रेलवे के जानकारों का कहना है कि यह कैंटीन अंग्रेजों के समय से रेल कर्मचारियों को नो लॉस, नो प्रॉफिट पर चाय, नाश्ता, लंच आदि कर्मचारियों को मुहैया कराया जा रहा है यहां के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता व किफायती कीमतों के चलते कर्मचारियों के बीच तो लोकप्रिय है ही, साथ ही आसपास के आम लोग भी इस कैंटीन में पहुंचकर लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाते रहे हैं। रेल कर्मचारियों में इस बात की चर्चा है कि ये कैंटीन यदि निजी हाथों में चली जाती है तो कर्मचारियों को चाय, नाश्ता, भोजन जो रियायती दरों पर उपलब्ध होती है, वो नहीं मिल सकेगा साथ ही जो क्वालिटी कंट्रोल अभी तक रेल प्रशासन द्वारा किया जाता रहा है, उस पर भी नियंत्रण नहीं हो सकेगा।

मिलने लगे है संकेत

सूत्रों के मुताबिक गत सोमवार से डीआरएम आफिस स्थित कैंटीन में पदस्थ 16 कर्मचारियों का रेलवे अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है वहीं कर्मचारियों को इस बात का संकेत दे दिया गया है कि उन्हें कैंटीन की जगह अन्यत्र पदस्थ किया जायेगा। इस संबंध में रेल प्रशासन की ओर से जानकारी नहीं मिल सकी है, किंतु कैंटीन में पदस्थ स्टाफ के साथ-साथ डीआरएम आफिस के कर्मचारियों के बीच इस कैंटीन की पूरी व्यवस्था निजी हाथों में सौंपे जाने की चर्चा सरगर्म है।

नवभारत
आवश्यकता है
पद की योग्यता
देश के अनेक राज्यों से प्रकाशित नवभारत समाचार पत्र समूह के जबलपुर संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।
एकाउंटेंट (टेली एवं 5 वर्ष का अनुभव)
बिलिंग ऑपरेटर (एमआईएस एवं 5 वर्ष का अनुभव)
रिपोर्टर (महिला+ पुरुष) (2 वर्ष का अनुभव एवं बी.जे.सी एवं एम.जे.सी)
कंप्यूटर ऑपरेटर (5 वर्ष का अनुभव एवं कोरल ड्रा अनिवार्य)
रिकवरी एग्जीवयूटिव (ग्रेजुएशन एवं 5 वर्ष का अनुभव)
संपर्क करें
कार्यालय- नवभारत प्रेस, चौथापुल, महर्षि स्कूल के सामने, जबलपुर (दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक)
9752721239, 8305852507 hr.navabharat1934@gmail.com

SPARK CONVENT SCHOOL
ADMISSION OPEN 2025-2026
सम्पर्क
Branch-1: New Kanchanpur, Near Neher, Adhartal, Jabalpur MP (Nursery to 8th)
Branch-2: Vatsala Hill View, Sainik Society, Shakti Nagar, Gupteshwar, Jabalpur MP (Nursery to 5th)
Ph. 0761-4923248, Mob. 9425868370

भवन निर्माण
₹1500/- वर्गफुट कंस्ट्रक्शन
माड्यूलर किचिन लेटबाथ स्टील रेलिंग बिजली पानी, मटेरियल सहित, कम्पलीट वर्क
संपर्क करे
कमलेश पटेल- मो.नं. 6260334877

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57